

# मार्गदर्शन

श्री राकेश चतुर्वेदी प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सेना प्रमुख) छत्तीसगढ



#### मोहम्मद अकबर मंत्री

छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग विधि एवं विधायी कार्य विभाग



मंत्रालय

: कक्ष क्र. एम 3-13,14,15,16,17

महानदी भवन, नवा रायपुर

अटल नगर, जिला - रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष

0771-2510321

: 0771-2221321 (फेक्स)

निवास कार्यालय :

बी-5/10, शंकर नगर रोड,

रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष

0771-2331326

0771-2331426

पत्र क्रमांक 1232

रायपुर, दिनांक ...! 13 | 2021



#### -ःः संबेद्धः ः-

वन्य जीवन का संरक्षण एवं संवर्धन समय की मांग है। मानव जीवन और वन्य जीवन प्रकृति की सर्वोत्तम देन है। मानव को अपने स्वार्थ से परे हटकर वन्य जीवन के संरक्षण को अपना प्राकृतिक दायित्व समझना चाहिए, इसके लिए आवश्यकता है जागरूकता की।

इस पुस्तिका के माध्यम से शालेय विद्यार्थियों को वन्य जीवन के संरक्षण की जरूरत समझाने का अच्छा प्रयास किया गया है। ऐसे प्रयासों के निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

पुस्तिका प्रकाशन का उद्देश्य सफल हो, यही शुभकामनाएं।

(मोहम्मद अफबर मंत्री



#### कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (छ.ग.)

प्रधान कार्यालयः अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर—492002

दूरभाष: 0771-2512800, फैक्स: 0771-2512801

वेबसाईट : www.cgforest.com, ईमेल- cgpccf.forest@gmail.com



## संदेश

प्रकृती का संतुलन मानव जीवन एवं वन्य जीवन के सह अस्तित्व पर निर्भर करता है। वन्य जीवन के घटते स्तर से यह संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इस संतुलन को बनाए रखना समय की मांग है। इसके लिए सभी स्तरों पर जागरुकता की आवश्यक्ता है। शालेय जीवन से जागरुकता के प्रयास अधिक प्रभावशाली होंगे। इस दिशा में इस पुस्तिका का प्रयोजन उपयोगी साबित होगा।


इस प्रयास को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।

(राकेश चतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

### जानवर/प्राणी

प्राणी में स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप, उभयचर, मछली जलस्थल चर, मत्स्य, अन्य रज्जुकी तथा अकशेरूकी और इनमें उनके बच्चे तथा अंडे भी सम्मिलित हैं।







## क्या आप जानते हैं?

वर्ष 1935 में अभयारण्य के रूप में घोषित क्षेत्रों के भीतर हत्या या शिकार को गैरकानूनी बना दिया था।



# वन्यजीव क्या है?

अन्तर्गत जलीय या भूवनस्पतिक ऐसा कोई प्राणी है जो किसी प्राकृतिक वास का भाग है।






## क्या आप जानते हैं?

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया था।

हमारे राष्ट्रीय कानून के अनुसार, वन्यजीव और वन्य प्राणी के बीच अंतर है। आइये जाने कैसे!



## फिर जंगली जानवर क्या हैं?

भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ने जानवरों को अनुसूची 1-4 में विभाजित किया है।

वन्य प्राणी से ऐसा प्राणी अभिप्रेत है जो अनुसूची 1 से अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है और प्रकृति से ही वन्य है

 अनुसूची 1 और अनुसूची 2 - भाग II में जंगली जानवरों को सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है क्योंकि ये लुप्तप्राय प्रजातियां हैं।

इस अंतर की योग्यता, प्रजातियों की आबादी और लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर आधारित है।




#### आवास

ऐसी भूमि, जल और वनस्पति जो किसी वन्य प्राणी का प्राकृतिक गृह है।



## क्या आप जानते हैं?

कुछ निर्दिष्ट पौधों हैं जो अनुसूची VI के तहत सूचीबद्ध हैं। इस प्रकार वे भी कानून के तहत संरक्षित हैं।



## क्या आप जानते हैं?

#### भारत में

- 553 वन्यजीव अभयारण्य, 101 राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा संचालित 50 टाइगर रिजर्व हैं।
- कुल मिलाकर 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं।

मध्य भारत भूभाग जैव-विविधता में समृद्ध है, यहां:

- छत्तीसगढ़: 11 वन्यजीव अभयारण्य और 3 राष्ट्रीय उद्यान।
- मध्य प्रदेश: 25 वन्यजीव अभयारण्य और
   9 राष्ट्रीय उद्यान।





वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, को वन्यजीव वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों, उनके प्राकृतिक आवास सहित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था।

यह देश की पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।

# हमें वन्यजीव अपराध के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है?

अवैध शिकार, वन्यजीव व्यापार और वन्यजीवों के निवास स्थान के विनाश को, वन्यजीवों और पक्षियों की तेजी से कमी का मुख्य कारण माना जाता है, यह बहुत चिंता का विषय है।



- अवैध वन्यजीव व्यापार।
- वन्यजीवों के आवासों का विनाश।
- बिना अनुमति अतिक्रमण।
- जानवरों को छेड़ना।
- शेड्यूल में उल्लिखित पौधों का अवैध रूप से दोहन।
- संरक्षित क्षेत्रों के अंदर प्लास्टिक फेंकना।

### उदाहरण

• बाघ, तेंदुए, हिरण और पैंगोलिन की त्वचा, हड्डियों, मांस और नाखूनों के लिए हत्या करना।

• हाथी दांत के लिए हत्या करना।



# वन्यजीव अपराधों की घटना के पीछे क्या कारण हैं?

जंगली जानवरों को केवल भोजन या कपड़ों के लिए ही नहीं बल्कि सजावटी मूल्य, पारंपरिक चिकित्सा और आर्थिक स्थिति के भावों को दिखाने के लिए मारा जाता है।



## क्या आप जानते हैं?

किसी प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना; नष्ट करना या लेना अथवा वन्य पक्षियों या सरीसृपों के अंडों या घोसलों को नुकसान पहुँचाना अथवा गड़बड़ाना, एक अपराध है। दंड

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यहां तक कि शेड्यूल के अनुसार विभिन्न जंगली जानवरों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए अलग-अलग दंड देता है।

सबसे गंभीर सजा 3 साल से 7 साल तक हो सकती है। साथ ही जुर्माना जो 25,000 रुपये तक हो सकता है। अपराधों के अनुसार सजा अलग-अलग हो सकती है।

## क्या आप जानते हैं?

अनुच्छेद 48 ए और 51-ए (जी) के तहत भारत का संविधान पर्यावरण की सुरक्षा, वनों, निदयों, झीलों और वन्यजीवों की सुरक्षा के बारे में विशेष उल्लेख करता है।



## आइए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बारे में जानते हैं

- विलुप्तप्राय प्रजाति और जीवों की विलुप्तप्राय प्रजातियों की विशेष सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है, the Convention on International Trade of Endangered Species (CITES).
- विदेश व्यापार नीति; जंगली जानवरों और उनके हिस्से और पौधों के निर्यात और आयात को इस नीति के तहत प्रतिबंधित किया गया है।
- जैविक विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम जिम्मेदार है।





## कौन आपकी अपराध की रिपोर्ट करने में मदद कर सकता है?

यदि आप किसी वन्यजीव अपराध के गवाह हैं, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं:

• अपने निकटतम वन विभाग या पुलिस स्टेशन या वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MEFCC) के कार्यालय में किसी भी वन्यजीव अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं।

#### अथवा

 निकटतम अदालत में शिकायत दे सकते हैं।






## वन्यजीव अपराधों के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

जंगली जानवरों और उनके शरीर के अंगों का उपयोग विभिन्न अवैध अंधविश्वासों और काले जादू की प्रथाओं में किया जाता है।

वन्यजीवों की सुरक्षा और स्थानीय स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार के अपराधों की रिपोर्ट भी दी जानी चाहिए।



# क्या आपको इन वन्यजीव अपराधों की रिपोर्ट करनी चाहिए?

हाँ! एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, संबंधित अधिकारियों की सहायता करना आपका कर्तव्य है।

# वन्यजीवों की ऑनलाइन ट्रेडिंग




जंगली जानवरों के अवैध व्यापार के साथ-साथ उनके प्राकृतिक आवास व्यापार के लिए एक नया एवेन्यू, प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण खुल गया है इसे ऑनलाइन ट्रेडिंग कहा जाता है।

सतर्क रहना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपराध अपेक्षाकृत नए हैं। इससे संबंधित लेन-देन और इंटरैक्शन ज्यादातर सोशल मीडिया पर होते हैं।

ऑनलाइन विज्ञापन, वीडियो, चित्र, जो जानवर, उनके शरीर के अंगों और उनके संतानों कि बिक्री, कब्जे या प्रयोग के लिए साझा किए जाते हैं, उसके बारे में संबंधित प्राधिकरण को बताया जाना चाहिए।






## वन्यजीव अपराध की रिपोर्टिंग


- वन विभाग और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) की वेबसाइट पर, अधिकारियों और अन्य कर्मियों की संपर्क जानकारी का उल्लेख किया गया है।
- वेबसाइटों में सभी अधिकारियों के संपर्क विवरण हैं।
- उनसे संपर्क किसी भी सुविधाजनक तरीके से किया जा सकता है। पहचान गुप्त रखी जाएगी।
- जिनकी उम्र में 18 वर्ष से नीचे हैं, वे इस तरह की एक घटना की रिपोर्ट के लिए, एक वयस्क की सहायता ले सकते हैं।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के बारे में खुद को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है


## हम वन्यजीवों की मदद के लिए क्या कर सकते हैं?

- जंगल और वन्यजीवों के आवास में कूड़ा न फैलाएं और दूसरों को फैलाने से रोकें।
- लोगों से अनुरोध करें कि वे संरक्षित क्षेत्रों के अंदर गैरकानूनी गतिविधियां न करें।
- पशु पक्षपोषण के लिए स्कूलों और कॉलेजों में स्वयंसेवक समूह तैयार करें।
- पर्यावरण और पशु कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर व्याख्यान के लिए जीवविज्ञानियों, वन अधिकारियों और अन्य एजेंसियों को आमंत्रित करें।
- शैक्षिक यात्राओं में भाग लें, जानवरों, पिक्षियों, सरीसृपों के बारे में जानें जो आपके आसपास आसानी से देखे जा सकते हैं।
- स्थानीय स्तर में किए गए किसी भी बचाव कार्य में भाग लें।





#### Picture Credit: Yashprada Joglekar Abhaya Joglekar



Designed and Created by-Adv. Yashprada Joglekar, BBA.LLB, LLM, (Volunteer WCCB), Raipur (C.G)
Email id - yashprada.10@gmail,com